13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेत् नियत है।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे। आरोपी सहित श्री एम.पी.शरणागत अधिवक्ता उपस्थित। फरियादी शांता मेश्राम उपस्थित।

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक को उभयपक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया है जिसे तस्दीक किया जा चुका है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। आरोपी के विरूद्ध सभी अपराध शमनीय होने से आरोपी गीता गोंडाने को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग दो के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

> आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

> ा. मजि. प्र. वित्रामिति वित्रामि (सिराज अली)

सदस्य

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई 30-11-2013 में लिया गया। राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे। आरोपी / आरोपीगण स्वयं / द्वारा श्री...... उपस्थित / अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री फरियादी / आहत......स्वयं उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। फरियादी / आहत की पहचान अधिवक्ता श्री के द्वारा की गई। आरोपी / आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा—..... के अंतर्गत अपराध अभियोजित है, जो कि शमनीय अपराध है। आरोपी/आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण नहीं है। अपराध शमन किए जाने में कोई विधिक बाधा होना प्रकट नहीं होता है। अतएव

> उभयपक्ष की ओर से राजीनामा स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप आरोपी/आरोपीगण...... को भारतीय दंड संहिता की धारा—.... के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

> आरोपी/आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

> प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है/जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

> प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

> > सदस्य

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

30-11-2013

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया।

आवेदिका सहित अधिवक्ता श्री...... उपस्थित। अनावेदक स्वयं/द्वारा अधिवक्ता श्री उपस्थित।

प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। उभयपक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री के द्वारा की गई।

उभयपक्ष का द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

सदस्य